# अध्याय बारह

## शान्ति और व्यवस्था तथा न्याय

**शान्ति और व्यवस्था**

1947 में भारत का बंटवारा होने के फलस्वरूप इस जिले के लोगों में साम्प्रदायिकता की भावना जागृत हो उठी और जिले में शरणार्थियों के आ जाने से स्थिति और भी बिगड़ गई। धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने लगी और काफी समय के बाद 1953 में महमूदाबाद पुलिस सर्किल में शिया और सुन्नियों के बीच उपद्रव उठ खड़ा हुआ। 1956 में 'रिलीजस लीडर्स" नामक पुस्तक के संबंध में मुसलमानों ने एक आन्दोलन खड़ा किया, जिसके जवाब में भारतीय जनसंघ ने एक विरोधी आन्दोलन चलाया। तब से इस किस्म के किसी मामले की सूचना नहीं मिली जिसके कारण कोई उपद्रव हुआ हो।

कभी-कभी कुछ राजनैतिक दलों की सरकार विरोधी कार्यवाहियां मजिस्ट्रेट वर्ग तथा जिला पुलिस के लिए शान्ति और व्यवस्था की समस्या बन जाती हैं। 1957 में समाजवादियों (सोशलिस्टों) द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आन्दोलन और 1958 में उनके द्वारा चलाए गए खाद्य आन्दोलन में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार पुलिस और सैनिकों को बराबर सावधान रहना पड़ा। बहरहाल इस जिले में कहीं भी शान्ति भंग नहीं हुई। इन आन्दोलनों के दौरान कलक्टरी से सम्बद्ध जिला न्यायालयों के सामने प्रदर्शन किए गए, सड़कों पर जलूस निकाले गए और सार्वजनिक सभाएं आयोजित की गईं। छात्रों, बैंकों के कर्मचारियों आदि द्वारा की गई हड़तालों की ओर भी प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित हुआ, लेकिन ये हड़तालें सामान्यतया शान्तिपूर्ण रहीं और कोई अवांछनीय घटना नहीं घटी।

1952 और 1957 में जो बृहत् आम चुनाव कराए गए, उनका जिला प्रशासन के संसाधनों पर अत्यधिक भार पड़ा। इन चुनावों में जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी वयस्क लोगों ने मतदान केन्द्रों पर मतदान किया। यह संपूर्ण कार्य सुव्यवस्थित एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ।

यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से साम्प्रदायिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है तथापि आज भी प्रशासन को भिन्न-भिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में जिला प्राधिकारियों को लोगों के सर्वतोमुखी विकास के निमित्त विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। इन प्रयासों का विवरण इस खण्ड के सम्बद्ध अध्यायों में मिलेगा।

**अपराध** :—विवरण-पत्र 1 (जो इस अध्याय के अन्त में है) में पुलिस को रिपोर्ट किए गए संज्ञेय (cognizable) एवं असंज्ञेय (non cognizable) अपराधों, न्यायालय को भेजे गए मामलों तथा उनके परिणामों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों में दण्ड-प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) में उल्लिखित सुरक्षा संबंधी धाराओं के अधीन आने वाले मामले सम्मिलित नहीं हैं। विवरण-पत्र 2 में केवल महत्वपूर्ण अपराधों के आंकड़े दिए गए हैं (यह विवरण-पत्र भी इस अध्याय के अन्त में दिया गया है)।

**हत्यायें** :—जिले में की गई हत्याओं की औसत संख्या प्रति वर्ष लगभग पचास है, उनमें से अधिकतर हत्यायें भूमि तथा महिलाओं के संबध में होती हैं।

**डकैती**:—डकैतों के सक्रिय गिरोहों का आंतक दूर करने तथा बिना लाइसेन्स के आग्नेयास्त्रों के इस्तेमाल को रोकने के लिए समय-समय पर बड़े पैमाने पर डकैती निरोधक कार्यवाही की गई।

**लूट** :—प्रतिवर्ष औसत रूप से लूटमार की लगभग सोलह घटनाएं हुईं, जिनमें से वर्ष 1953 में लूटमार की सबसे कम अर्थात् आठ घटनाएं हुईं और सबसे अधिक घटनाएं वर्ष 1955 में हुईं। इसके बाद लूटमार की संख्या में कमी हुई जिसका कारण यह था कि बटमारों के दो गिरोहों का 1956 में और पढ़े-लिखे लुटेरों के एक गिरोह का 1957 में सफाया कर दिया गया।

**दंगे** :—दंगे सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, जो मुख्यतया आपसी रंजिश और जमीन-जायदाद पर कब्जे से संबंधित होते हैं। अभी तक राजनीतिक या औद्योगिक प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ है लेकिन 1950 में पिसावां पुलिस सर्किल में दंगे के रूप में साम्प्रदायिक डकैती हुई थी और 1953 में महमूदाबाद पुलिस सर्किल में शिया-सुन्नी दंगा हुआ था। 1959 में मुहर्रम के अवसर पर हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच लहरपुर में एक दंगा हुआ था।

**चोरी** :—जिले में प्रति वर्ष औसत रूप से चोरी की लगभग 467 घटनाएं होती हैं। इनमें सामान्यतया बाइसिकिलों, जानवरों और कृषि उपज की चोरी की वारदातें होती हैं। मोटर गाड़ियों के सहायक पुर्जों की चोरी के दो मामले हुए, जिनमें से एक मामला 1954 में और दूसरा 1955 में हुआ था।